



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1118

मद/FOR ITEM: साईझ 45 x 70 एमएम के कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड सी-45
Carbon Structural Steel Grade C-45 of sizes 45 & 70 mm

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एवी अलॉय्स लिमिटेड, 355/ए, नन्दीगाँव, जिला पटन्चेरु मेडक, एपी-502 300 द्वारा विकसित एवं उत्पादित हाइड्रोक्राकर तथा मेरॉक्स का मिश्रण “साईझ 45 x 70 एमएम के कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड सी-45”, मिग वायुयान स्ट्रक्चरल पार्टों के फ़ैब्रिकेशन में काम आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(नासिक) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं.टीएस/आईएनडी/एमएटी/एसएल/025 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट‘ए’ में संलग्नक “वर्गरिकार्ड” की विवरण/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the “Carbon Structural Steel Grade C-45 of sizes 45 & 70 mm” developed and manufactured by by M/s.AV Alloys Ltd 355/A, Nandigaon, Patancheru Medak Dist, AP-502 300 is hereby approved for production, for use in fabrication of MiG aircraft structural parts. It has been tested as per type Test schedule No.TS/IND/MAT/SL/025 in coordination with RCMA (Nasik). It has met the requirements of the tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at enclosed at Appendix – “A “

FILED
A
B
C
D
E
F

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2009 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(नासिक), ओझर टाउनशिप - 422 007 से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2009 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Nasik), Ojhar Township-422 007, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1118

दिनांक/Date : 5 मई 2005

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

J.K. Sharma
5/5/05
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

6/4/05